जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना

(कम्प्यूटर भवन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाँकीपुर, गर्दनीबाग पटना)

अपील वाद संख्या-27/15

<u>आदेश पुस्तिका</u>

वादी — चाँदनी कुमारी,

बनाम

प्रतिवादी :- प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय
फतुहाँ, पटना।

उपस्थित — हिरेन्द्र कुमार सिन्हा
पीठासीन पदाधिकारी
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार
पटना

Date 20 May,2015

यह आदेश श्रीमती चाँदनी कुमारी, नगर माध्यमिक शिक्षिका के सेवा शर्तों से संबंधित प्राप्त अपील पर सुनवाई के उपरान्त पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी श्रीमती चाँदनी कुमारी द्वारा प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा, पटना के विरूद्ध मातृत्व अवकाश की स्वीकृति नहीं दिये जाने के मामले में दायर अपील में अंकित किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2014 में उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा में नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान किया है। नियोजन नियमावली 2012 की कंडिका 9(1)(i) में निहित प्रावधानों के आलोक में मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक से अनुरोध किये जाने पर उन्होंने मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने से इंकार कर दिया तथा उन्हें नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु मार्गदर्शन की माँग की। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही होगा। प्राचार्य ने इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इंकार किया कि शिक्षिका को नियोजन के पूर्व से ही दो संतान है इसलिए उन्हें यह अवकाश देय नहीं होगा। अपीलार्थी ने न्यायहित में मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है।

प्राचार्य उ०मा०विद्यालय फतुहा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 19.05.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्रीमती चाँदनी कुमारी नियोजित माध्यमिक शिक्षिका है। इन्होंने दिनांक 27.02.15 को अपने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती कुमारी को पूर्व से दो संताने है। ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से मार्गदर्शन की माँग की गयी कि दो संतानों की अवस्था में क्या तीसरे संतान के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना ने निदेशित किया कि नियमावली,2012 की कंडिका 9(1)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतान के लिए देय होगा। चूँकि नियमावली में सेवा में आने के पूर्व या बाद की संतानों के लिए अलग प्रावधान नहीं है इस कारण श्रीमती कुमारी को दो संताने होने के कारण निदेशानुसार मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है।

वादी: श्री विकास अभिषेक एवं प्राचार्य, उ०मा०विद्यालय फतुहा के वादी एवं प्रतिवादी को सुनने के पश्चात विभाग द्वारा प्रकाशित नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के उपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष पायी गयी-

1 श्रीमती चाँदनी कुमारी का नियोजन वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षिका के रूप में उ०मा०विद्यालय फतुहा पटना में किया गया है। दिनांक 21.02.15 को इन्होंने सेवा काल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया जिसे विद्यालय के प्राचार्य ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) से मार्गदर्शन माँगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से प्राप्त मार्गदर्शन अस्पष्ट है।

2 नियमावली,2012 की कंडिका 9(1)(i) में स्पष्ट अंकित है "मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही होगा।" यह स्पष्ट करता है कि नियोजित शिक्षिका को सेवा काल में दो बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जायेगी। सेवा शर्त से पूर्व उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उस कंडिका के प्रावधानों के अन्तर्गत करना भूल है। पूर्व में उत्पन्न संतान की संख्या का सेवा काल में उत्पन्न संतान की गणना से कोई संबंध नहीं है। इसका संतान की संख्या से कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षिका को प्रत्येक माह में दो दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य के द्वारा उनके गर्भवती होने के आधार पर नहीं दी जा रही थी।

3 उक्त कार्य प्राचार्य द्वारा कानून की गलत व्याख्या के कारण हुआ है। महिला सरकारी सेवक को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान है। यह अवकाश किस आधार पर दिया जायगा, इसका उल्लेख संबंधित कानून में नहीं है। अतः प्राचार्य द्वारा कानून की यह व्याख्या कि महिला कर्मचारी को दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश Mensuration के दौरान ही देने का प्रावधान है, यह गलत है।

4 उपर्युक्त परिस्थिति में नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली,2012 की कंडिका 9(1)(i) के प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी को शेष मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है और इसे नियंत्री पदाधिकारी नकार नहीं सकते हैं। इस संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। तद्नुसार आवेदिका का अपील उक्त सीमा तक स्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है।

(वीरेन्द्र कुमार सिन्हा)
पीठासीन पदाधिकारी
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना।

ज्ञापांक 07 से०अ०-27/27/2015 2016/पटना, दिनांक 28/8/15

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना पटना/प्राचार्य उ०मा०विद्यालय फतुहा, पटना एवं श्रीमती चाँदनी कुमारी, नियोजन माध्यमिक शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार, पटना।